भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2611

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तटीय क्षेत्रों में निर्यात अवसंरचना

2611. श्रीमती मंजू शर्मा:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के तटीय क्षेत्रों में निर्यात अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्यात वस्तुओं से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलू सर्वोत्तम वैश्विक प्रचलनों के अनुरूप हैं और इस संबंध में वैश्विक स्तर पर लगने वाला समय कितना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) निर्यात के प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में लगने वाले समय को कम करने की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत सरकार ने तटीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, सरकार ने निर्यात की प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं। योजनाओं के अंतर्गत कुछ पहल और उपाय नीचे दिए गए हैं:

(i) यह मंत्रालय 'व्यापार निर्यात अवसंरचना योजना (टीआईईएस)' नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को वित्तीय वर्ष 2017-18 से कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य निर्यात वृद्धि के लिए उपयुक्त अवसंरचना के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना है। इस योजना के तहत, निर्यात अवसंरचना की स्थापना या उन्नयन के लिए केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 360 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत, तटीय राज्यों में 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ii) बंदरगाह, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, अपनी प्रमुख सागरमाला योजना के तहत, केंद्र शासित प्रदेश/राज्य सरकारों को बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं, तटीय बर्थ परियोजनाओं, सड़क एवं रेल परियोजनाओं, मत्स्य पालन बंदरगाहों, कौशल विकास परियोजनाओं, तटीय समुदाय विकास, क्रूज टर्मिनल और रो-पैक्स फेरी सेवाओं जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(iii) भारतीय बंदरगाहों का विकास, निर्यात अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते, नए बर्थ और टर्मिनलों के निर्माण, मौजूदा बथ का मशीनीकरण/आधुनिकीकरण, सड़क एवं रेल संपर्क के विस्तार, क्षमता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए बंदरगाह विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाना शामिल है। इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारतीय बंदरगाहों की कुल माल ढुलाई क्षमता वित्त वर्ष 2014-15 में 1561 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2771 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है।

(iv) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीपीपीआई), 2024 में दो भारतीय बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (23वां स्थान) और मुंद्रा बंदरगाह (25वां स्थान), वैश्विक बंदरगाहों की शीर्ष 30 सूची में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 5 भारतीय बंदरगाह शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों की सूची में शामिल हुए। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय बंदरगाहों का टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) 0.9 दिन है, जो कई समुद्री देशों से बेहतर है।

(v) भारतीय रेलवे ने तटीय क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए कई कार्य शुरू किए हैं, जैसे नई लाइन का निर्माण, मौजूदा मार्गों का दोहरीकरण और मल्टी-ट्रैकिंग, फ्लाईओवर और बाईपास लाइनों का निर्माण, माल गोदामों और गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) का विकास, बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाएं, समर्पित माल गलियारे का निर्माण आदि। इन पहलों का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बंदरगाहों से कनेक्टिविटी को मजबूत करना, माल निकालने की क्षमता को बढ़ाना और निर्यात-उन्मुख यातायात की सुगम आवाजाही को सुगम बनाना है।

(vi) भारत में कार्गो सुविधा वाले तटीय हवाई अड्डे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोझीकोड, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, गोवा, विशाखापत्तनम, कन्नूर, गोवा (मोपा), मंगलुरु, विजयवाड़ा, जामनगर, शिरडी, राजमुंदरी, तूतीकोरिन और भावनगर हैं।

(vii) माल के आयात और निर्यात के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) परिपत्र संख्या 50/2020-सीमा शुल्क दिनांक 05.11.2020 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित किए गए हैं। माल के आयात और निर्यात से संबंधित सीमा

शुल्क प्रक्रियाएं जैसे दस्तावेज़ दाखिल करना, शुल्क का आकलन और निकासी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाती हैं। राष्ट्रीय समय-सीमा अध्ययन 2025 के अनुसार, निर्यात माल की निकासी में लगने वाला समय निम्नानुसार है:

क्लीयरेंस का स्थान	सीमा शुल्क द्वारा क्लीयरेंस में लगने वाला समय (घंटों में)	माल निर्यात आदेश लॉजिस्टिक्स सहित क्लीयरेंस में लगने वाला कुल समय (घंटों में)
बंदरगाह	29:36	187:27
इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी)	30:39	130:30
एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी)	3:58	31:38

(viii) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के नीतिगत दस्तावेज, जिनमें विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 और प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) 2023 शामिल हैं, वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। व्यापक डिजिटलीकरण के उद्देश्य से, निर्यातकों के लिए अनुपालन को सरल बनाने और डिजिटल-फर्स्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। आयात-निर्यातक कोड (आईईसी), अग्रिम प्राधिकरण/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डीएफआईए)/निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं (ईपीसीजी)/निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजनाएं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक कार्यान्वित प्राप्ति प्रमाणपत्र और मूल प्रमाणपत्र (सीओओ) सहित प्रमुख निर्यात-संबंधी प्राधिकरणों और प्रमाणपत्रों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल अनुमोदन प्रणाली कार्यान्वित की गई है। ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म अब निर्यातकों को निर्यात संवर्धन परिषदों, भारतीय दूतावासों और डीजीएफटी से जोड़ता है, जिससे पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र और सीओओ जारी करने के लिए एक एकीकृत प्रणाली और निर्यातकों के लिए एक एकल-खिड़की इंटरफ़ेस उपलब्ध होता है। एफटीपी (एफटीपी) और एचबीपी (एचबीपी) दोनों मिलकर प्रत्येक प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं ताकि पूर्वानुमानित नीति सुनिश्चित की जा सके। व्यापार और उद्योग जगत से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, सरकार समय-समय पर एफटीपी/एचबीपी में संशोधन करके निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं को सरल बनाने, लेनदेन लागत को कम करने और स्वचालन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है।

****